वर्चुअल आधार पर 22-09-2022 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास की 22वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त

1. राष्ट्रीय न्यास की 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 22 सितंबर 2022 को श्री राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी। श्री उमेश कुमार शुक्ल, कार्यक्रम निदेशक, राष्ट्रीय न्यास ने वर्चुअल आधार पर 22वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में श्री के. आर. वैधीस्वरण, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास एवं सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, सभी बोर्ड सदस्यों और हितधारकों / पंजीकृत संगठनों (आरओ) का स्वागत किया। बैठक में 315 प्रतिभागी उपस्थित थे।

2. श्री राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास और सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने अपने संबोधन में विगत वर्षों में विकलांगता के क्षेत्र में अपने अनुभवों को साझा किया और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वह आने वाले समय में पंजीकृत संस्थाओं के छोटे छोटे समूहों में विडियो कॉल के जरिए बैठक आयोजित करना चाहेंगे. वह राज्य स्तरीय समन्वयक समिति (SLCC) के साथ भी वर्चुअल चर्चा करना चाहेंगे. दिव्यांगजन तक अपनी पहुँच को बढाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने प्रद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया.

3. श्री के. आर. वैधीस्वरण, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने २०२१-२२ के वार्षिक प्रतिवेदन पर प्रस्तुतीकरण (प्रेसेंटेशन) किया. वार्षिक प्रतिवेदन २०२१-२२ पर प्रेसेंटेशन के बाद संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय न्यास ने बोर्ड के सदस्यों से अपने विचार एवं सुझाव देने का अनुरोध किया जिसके बाद पंजीकृत संस्थाओं के लिए ओपन सेशन शुरू किया गया.

4. डॉ. आशीष कुमार, बोर्ड मेंबर ने निरामय के क्लेम पर विस्तार से बताया कि कहाँ गलती होती है एवं राष्ट्रीय न्यास की निरामय स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आने वाले क्लेम क्यों अस्वीकृत होते हैं. उन्होंने इसका समाधान कैसे हो सकता इस पर विस्तार से बताया.

5. श्री पुष्प पाल सिंह, बोर्ड मेम्बर ने राष्ट्रीय न्यास के कोष को और डीईपीडब्ल्यूडी से प्राप्त वित्तीय सहायता को बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सके और लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि की जा सके.

6. श्री पंकज मारू, स्नेह नागदा, मध्य प्रदेश ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जो कि निम्नलिखित हैं:-

(क) मध्य प्रदेश में लगभग १२००० ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनकी उम्र १८ वर्ष से कम है एवं उन्हें मानसिक रुग्णता (मेंटल इलनेस) / दिव्यांगता का UDID कार्ड मिला है. ऐसा लगता है कि यह तकनीकी एवं टंकण की गलती है या फिर गलत वर्गीकरण है. इसकी वजह से यह लोग राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते.

(ख) ऐसे मामले पूरे देश में हो सकते हैं जिनका निराकरण आवश्यक है जिससे वह विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें यदि वह उसके योग्य हैं.

(ग) बौद्धिक दिव्यांग के लिए कौशल विकास की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता है. इसमें दैनिक जीवन की गतिविधियाँ भी शामिल होनी चाहियें. इसका फायदा न सिर्फ बौद्धिक दिव्यांग को मिलेगा बल्कि इनके माता पिता जो इन गतिविधियों की वजह से कहीं रोज़गार नहीं देख पाते ऐसा कर पाएंगे.

(घ) जो अभिभावक बौद्धिक दिव्यांगजन की रोजमर्रा गतिविधि की देखभाल करते हैं, उन्हें भी मनरेगा (MGNREGA) योजना में सम्मिलित करना चाहिए.

(ङ) निरामय योजना में थेरेपी के लिए आयु सीमा, २५ वर्ष तक करनी चाहिए.

(च) निरामय के पोर्टल को UDID पोर्टल से जोड़ना चाहिए.

राजेश

(छ) संरक्षकता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में मौजूद फॉर्म C एवं D भी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए जिससे इसे ऑनलाइन भरा जा सके तथा इसका रिकॉर्ड भी राष्ट्रीय न्यास के पास उपलब्ध रहे.

(ज) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सभी दिव्यांगजनों को 18 वर्ष की आयु में अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उन्हें पुनर्मूल्यांकन के लिए जाना पड़ता है। चूंकि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगताएँ स्थायी प्रकृति की हैं, उन्हें स्थायी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए। इससे मेडिकल बोर्ड पर काम का बोझ कम होगा, जो पहले से ही प्रमाणन के लिए मनोवैज्ञानिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहा है।

(क) रेलवे रियायत को UDID कार्ड के साथ जोड़ने के लिए जोर देना चाहिए एवं कोई अन्य दुसरे कार्ड की बाध्यता नहीं करनी चाहिए.

7. डॉ. आलोक भुवन, SNAC-दिल्ली ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत कानूनी संरक्षकता की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव दिया. जिससे माता-पिता के जीवनकाल के बाद 4 प्रकार की दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों के भविष्य के बारे में माता-पिता की चिंता कम हो जाएगी. इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों की एक निश्चित संख्या है जो समझने की क्षमता रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास दिव्यांगजन क्षेत्र से संबंधित दृश्य/चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ सरकारी दस्तावेजों/रिपोर्टों तक पहुंचने कि सुविधा होनी चाहिए.

8. श्री सुरेश पाटिल, SNAC, महाराष्ट्र ने राज्य स्तरीय समन्वय समिति के महत्व के बारे में बताया एवं कहा कि अभिभावक संघों को मजबूत करने के लिए उन्हें योजनायें देने की आवश्यकता है. राज्य के समाज कल्याण विभाग को राष्ट्रीय न्यास के घरौंदा केन्द्रों के आधारभूत संरचना के लिए CSR फंड का प्रयास करना चाहिए.

9. अतिरिक्त सुझाव पंजीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित हैं :-

i. स्किल डेवलपमेंट एवं दिव्यांगजन की योजनाओं में दिव्यांगजन के साथ उसकी माता एवं पूरे परिवार को जोड़ना आवश्यक है.

ii. राष्ट्रीय न्यास की हेल्प लाइन शुरू करने का अनुरोध किया गया.

iii. राष्ट्रीय न्यास अपनी योजनाओं में सिर्फ BPL के लिए अनुदान देता है लेकिन जहाँ किसी परिवार में एक से अधिक राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता वाले सदस्य हों और Non BPL हों तो उन्हें भी योजनाओं में अनुदान का लाभ मिल सके ऐसा अनुरोध किया गया.

iv. राष्ट्रीय न्यास एवं उसकी योजनाओं के बारे में और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है.

10. श्री राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने UDID कार्ड से सम्बंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया एवं प्रतिभागियों को भरोसा दिलाया कि विभाग UDID कार्ड को और बेहतर बनाने पर दिए गए सुझाओं पर कार्य करेगा. उन्होंने वार्षिक आम बैठक के प्रतिभागियों को बताया कि UDID कार्ड सभी क्षेत्रों / योजनाओं में कैसे स्वीकार किया जाए इस विषय पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है जिससे काफी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा.

11. विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मामलों का जवाब संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास, कार्यक्रम निदेशक और राष्ट्रीय न्यास के अन्य अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिया गया। हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सुझाव, यदि कोई हों, ईमेल द्वारा राष्ट्रीय न्यास को भेजें। प्रतिभागियों ने संतोष व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि वे इस क्षेत्र के लाभ के लिए हर तरह से अपना सहयोग देंगे।

21/12/21

श्री नवनीत कुमार, उपनिदेशक के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया.

(के. आर. वैधीस्वरण)
सदस्य सचिव एवं संयुक्त सचिव
राष्ट्रीय न्यास

(राजेश अग्रवाल)
सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास